1	विभाग–	श्रम विभाग
2	योजना का नाम –	**दुर्घटना सहायता योजना**
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र सं0 911–15/भवन निर्माण–2010 दिनांक 16.09.2011 के द्वारा दुर्घटना सहायता अधिसूचित की गई है। पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थाई पूर्ण अपंगता/विकलांगता अथवा स्थाई आंशिक अपंगता/विकलांगता के फलस्वरूप दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक की तत्कालिक सहायता हेतु पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक अथवा उसके आश्रितों को तत्कालिक अनुग्रह राशि प्रदान किया जाना इस योजना का उद्देश्य है। श्रम आयुक्त उ0 प्र0 के पत्र सं0 8862–8993/भ0नि0बोर्ड–2011(96) दिनांक 24.11.2011 के द्वारा महिला श्रमिक की प्रसव के दौरान या प्रसव के उपरान्त हुयी मृत्यु को इस योजना मे शामिल किया गया है। यह भुगतान अनुग्रह धनराशि स्वरूप बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार भुगतान की गयी अनुग्रह धनराशि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 अथवा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत नियमानुसार अनुमन्य क्षतिपूर्ति/हितलाभ के अतिरिक्त होगी। लाभार्थी की मृत्यु की दशा में उसके आश्रित पात्रता से आवर्त होंगे। आश्रित से तात्पर्य परिवार के पति/पत्नी, अविवाहित पुत्रियॉं, अवयस्क पुत्रों व मृतक श्रमिक पर निर्भर माता/पिता से है।
4	पात्रता की अर्हता–	पंजीकृत श्रमिक
5	आवेदन की प्रक्रिया–	आवश्यक अभिलेखों सहित स्थानीय श्रम कार्यालय में निःशुल्क आवेदन
6	लिंक वेबसाईट	http://upbocw.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।